307/

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE- EXTRAORDINARY)

OFFICE OF THE SECRETARY - CUM- DIVISIONAL COMMISSIONER,

DEPARTMENT OF REVENUE: GOVERNMENT OF N.C.T. OF DELHI

(CO-ORDINATION BRANCH)

5, SHAM NATH MARG, DELHI-110054

No.F.1(15)/DCO/2010/ 4263

Dated:- 15/09/2015

NOTIFICATION

No.F.1(15)/DCO/2010/ 4263 -In pursuance of sub-rule(4) of rule 3 of the Citizenship(Registration of Citizens and Issue of National Identity Cards) Rules, 2003, the Central Government hereby decides to prepare and update the Population Register and the field work for house to house enumeration throughout the country for collection of information relating to all persons who are usually residing within the jurisdiction of Local Registrar shall be undertaken with effect from 1st day of July, 2015 onwards, is hereby republished.

By order and in the name of the Hon'ble Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(A . ANBARASU)

Secretary(Revenue)-cum-Divisional Commissioner

3061

दिल्ली राजपत्र (असाधारण) के भाग 4 में प्रकाशनार्थ सचिव (राजस्व) एवंम मंडलायुक्त कार्यालय राजस्व विभाग : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार (समन्वय शाखा) 5-शाम नाथ मार्ग, दिल्ली - 110054

एफ.1(15)/ डी.सी.ओ./2010/4263

दिनांक: 15/09/2015

अधिसूचना

एफ.1(15) / डी.सी.ओ. / 2010 / ५ 26.3 नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियमावली, 2003 के नियम 3 के उप नियम (4) के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद् द्वारा जनसंख्या रिजस्टर तैयार करने और उसे अध्यतन करने का निर्णय लेती है तथा स्थानीय रिजस्ट्रार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सामान्य तौर पर रहने वाले सभी व्यक्तियों की संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए देशभर में घर—घर जाकर गणना करने संबंधी फील्ड कार्य 01 जुलाई, 2015 से प्रारम्भ किया जाएगा, को पुनः प्रकाशित किया जाता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

x. 31-9514

(ए. आंबारासु) सचिव (राजस्व) एवंम मण्डलायुक्त